

सीकर - म.ए.डी.सी.

55/2016

दिनांक आज्ञा पत्र

25.1.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 25.1.22 को पेश हो

8.3.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8.3.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.4.22 को पेश हो।

28.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 28.4.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 13.7.22 को पेश हो।

13.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 13.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.9.22 को पेश हो।

27.9.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 27.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.9.22 को पेश हो।

29.9.22

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डुनू)

